न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हापुड़।
उपस्थितः– अजय कुमार सिंह–प्रथम, एच.जे.एस. (UP-2009)
CNR No.-UPHP010040822026

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या –1132/2026

राजू पुत्र रामौतार सिंह निवासी ग्राम गालन्द, थाना पिलखुवा, जिला हापुड़।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

अन्तर्गत धारा–379 भा0दं0सं0
मुकदमा अपराध संख्या 69/2024
थाना–पिलखुवा, जिला– हापुड़।

दिनांक 08.06.2026

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त की ओर से उपरोक्त मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर दी गयी है कि प्रार्थी का रिलायंस रोड पर वेयर हाउस बनाने का निर्माण कार्य चल रहा है। प्रार्थी की साईट पर 08.02.2024 को कुछ अज्ञात लोगों ने रात को चोरी की व लगभग 15 कुन्तल सरिया काट कर ले गये। 09.09.2023 की सुबह जब प्रार्थी की साईट पर पहुॅचा तो उसने 100 नम्बर पर सूचना दी व दिन में दो बार पुलिस भी आयी। महोदय 09.02.2024 को करीब 08.30 बजे चार बदमाश फिर चोरी करने प्रार्थी की साईट पर घुस गये। प्रार्थी के चौकीदार रहमुद्दीन पुत्र गुलफाम व गुलफाम पुत्र नासिर ने चोरों के पीछे भागे व उनमें से दो चोरो को पकड़ लिया। अपने बाकी साथी को पकड़ा देख बाकी के दोनों के चौकिदारों से हाथापाई शुरू कर दी। जब चौकीदार उनके काबू में नहीं आये तो उनमें से एक बदमाश ने जेब से कटटा निकाला व फायर कर दी जो कि रात के अन्धेरे में उन्हीं के साथी को लग गयी। गोली चलने से चौकीदार डर गये व चारों बदमाश मौके से फरार हो गये।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त को उक्त केस में झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त घटना की दिनांक को घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। आवेदक/अभियुक्त धारा 41 दं0प्र0सं0 के नोटिस पर थाना हाजा से रिहा है। ऐसे में आवेदक/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए, कारित अपराध को गंभीर बताते हुए कथन किया है कि अभियुक्त ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वेयर हाउस से सरिया चोरी किया तथा दौरान गिरफ्तारी सहअभियुक्त पवन के पास से चोरी किये गये 11 सरिये की बरामद हुई। अभियुक्त का अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की मांग की गयी है।

5. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक के तर्क सुने तथा दांडिक वाद की पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

6. आवेदक/अभियुक्त पर आरोप है कि उसने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वेयर हाउस से सरिया चोरी किया तथा दौरान गिरफ्तारी सहअभियुक्त पवन के पास से 11 सरिये बरामद होने बताया गया है, किन्तु तथाकथित गिरफ्तारी व बरामगदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। दौरान विवेचना

Digitally signed by AJAY KUMAR SINGH
Date: 2026.06.08 15:20:57 IST
Reason: Bail order
Location: District and Sessions Court,hapur

आवेदक/अभियुक्त को दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि धारा 41क दं0प्र0सं0 की नोटिस देकर विवेचना पूर्ण कर आरोपपत्र प्रेषित किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त पर आरोपित धाराएँ सात वर्ष तक की सजा से दंडनीय है तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 06.05.2026 को सह अभियुक्त रिंकू उर्फ देवेन्द्र की अग्रिम जमानत स्वीकार हो चुकी है। अतः न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नवीनतम विधि व्यवस्थाओं के आलोक में मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार करने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 69 सन् 2024, धारा 379 भा0दं0सं0, थाना पिलखुवा, जिला हापुड़ के मामले में स्वीकार किया जाता है। अतः माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमति बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.08.2025 के प्रस्तर संख्या 46 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में संबंधित न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/–रूपये की एक विश्वसनीय प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र प्रस्तुत करने पर उसे उपरोक्त शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर छोड दिया जाये।

1. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त के आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाण पत्र की सत्यप्रति दाखिल की जायेगी।
3. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व 313 दं0प्र0सं0 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व दं0प्र0सं0 की धारा 313 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा और उनके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भा0दं0सं0 के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।
4. आवेदक/अभियुक्त विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय, आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

दिनांक 08.06.2026

(अजय कुमार सिंह प्रथम)
सत्र न्यायाधीश,
हापुड़।